[2020] 7 एस.सी.आर. 997

सी. उज्ज्वल

बनाम

जिला कलेक्टर एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 3441/2020)

05 नवंबर, 2020

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता

और अजय रस्तोगी, न्यायमूर्तिगण]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002: धारा 14 - क्या अनिवार्य या निर्देशिका प्रावधान है – अभिनिर्धारित: धारा 14 में जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिनों के भीतर सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा देने का आदेश दिया गया है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों पर कुल 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, एक निर्देशिका प्रावधान है - 2002 के अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए एक तंत्र प्रदान करना था, ताकि उन्हें सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति मिल सके - अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी ताकि सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए प्राधिकरण पर दबाव डाला जा सके - हालांकि, समय सीमा के भीतर कब्जा करने में असमर्थता जिला मजिस्ट्रेट को आधिकारिक नहीं बनाती है - समय सीमा लेनदारों में यह विश्वास पैदा करने के लिए है कि जिला मजिस्ट्रेट कब्जा देने का प्रयास करेगा और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट पर 30 दिनों के भीतर कब्जा देने के लिए क़ानून के जनादेश का पालन करने के लिए एक गंभीर प्रयास करने का कर्तव्य लगाएगा और 60 दिनों के भीतर दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए - इस आलोक में, अधिनियम की धारा 14 के अधीन उपचार निरर्थक नहीं है यदि जिला मजिस्ट्रेट कब्जा सौंपने में असमर्थ है।

क़ानूनों की व्याख्याः शब्द 'होगा' - का संकेतन - आयोजित: किसी कानून में "होगा" शब्द के उपयोग का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मामले में यह अनिवार्य है कि जब तक कानून के शब्दों का शाब्दिक रूप से पालन नहीं किया जाता है, कार्यवाही या कार्यवाही का परिणाम अमान्य होगा। - यह कहना भी हमेशा सही नहीं है कि यदि "हो सकता है" शब्द का उपयोग किया गया है, तो क़ानून केवल इस अर्थ में अनुमेय या निर्देशिका है कि उन प्रावधानों का पालन न करने से कार्यवाही अमान्य नहीं होगी और जब कोई क़ानून "होगा" शब्द का उपयोग करता है, तो प्रथम दृष्टया, यह अनिवार्य है, लेकिन न्यायालय क़ानून के पूरे दायरे को ध्यान से देखकर विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है - वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002- धारा 14।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा

अभिनिर्धारित : 1. क़ानूनों की व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम यह है कि किसी क़ानून में "होगा" शब्द के उपयोग का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मामले में यह अनिवार्य है कि जब तक क़ानून के शब्दों का शाब्दिक रूप से पालन नहीं किया जाता है, तब तक कार्यवाही या कार्यवाही का परिणाम अमान्य होगा। यह कहना हमेशा सही नहीं है कि यदि "हो सकता है" शब्द का उपयोग किया गया है, तो क़ानून केवल इस अर्थ में अनुमेय या निर्देशिका है कि उन प्रावधानों का पालन न करने से कार्यवाही अमान्य नहीं होगी और जब कोई क़ानून "होगा" शब्द का उपयोग करता है, तो प्रथम दृष्टया, यह अनिवार्य है, लेकिन न्यायालय क़ानून के पूरे दायरे को ध्यान से देखकर विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है। क़ानून के संदर्भ और योजना की जांच किए बिना सभी परिस्थितियों में अकेले क़ानून के शाब्दिक निर्माण का सिद्धांत क़ानून के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। [अनुच्छेद 7]

2. ऋण वसूली न्यायाधिकरणों अधिनियम को पहले सार्वजनिक बकाया की वसूली को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही ने वांछनीय परिणाम नहीं दिए हैं। इसलिए, विचाराधीन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने की समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए प्राधिकरण पर दबाव डाला जा सके। हालांकि, समय सीमा के भीतर कब्जा करने में असमर्थता जिला मजिस्ट्रेट फंकटस ऑफिसियो को नहीं बनाती है। सुरक्षित लेनदार का जिला मजिस्ट्रेट पर कोई नियंत्रण नहीं है जो सार्वजनिक बकाया की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक भलाई के लिए अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। अतः अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किए बिना अधिनियम की धारा 14 की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। यदि धारा 14 की भाषा पर कोई अन्य व्याख्या की जाती है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगा। समय सीमा लेनदारों में यह विश्वास पैदा करने के लिए है कि जिला मजिस्ट्रेट कब्जा देने का प्रयास करेगा और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य अधिरोपित करेगा कि वह 30 दिनों के भीतर कब्जा देने और 60 दिनों के भीतर दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए क़ानून के जनादेश का पालन करने के लिए गंभीर प्रयास करे। इस संदर्भ में, अधिनियम की धारा 14 के तहत उपचार निरर्थक नहीं है यदि जिला मजिस्ट्रेट कब्जा सौंपने में असमर्थ है। [अनुच्छेद 20]

मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम **नॉर्मंडिन एआईआर 1917 पीसी 142;** दत्तात्रय मोरेश्वर पंगारकर बनाम. बॉम्बे राज्य और अन्य**। एआईआर 1952 एससी 181: [1952] एससीआर 612**; हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक और अन्य **एआईआर 1955 एससी 233: [1955] एससीआर 1104 - अनुसरण किया गया।**

मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। **(2004) 4 एससीसी 311 : [2004] 3 एससीआर 982**; हिंडन फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद एवं अन्य **(2019) 2 एससीसी 198: [2018] 11 एससीआर 1019 - पर भरोसा किया गया।**

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिलि मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड **(2020) 5 एससीसी 757 – प्रतिष्ठित किया गया।**

दीपक बाबरिया और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य **(2014) 3 एससीसी 502: [2014] 2 एससीआर 71 - अनुपयुक्त ठहराया गया।**

मनीष मखीजा बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य **(2018) एससीसी ऑनलाइन एमपी 553 – स्वीकृत किया गया।**

ट्रांसकोर बनाम भारत संघ और **अन्य (2008) 1 एससीसी 125 : [2006] 9 पूरक एससीआर 785**; भारत संघ एवं अन्य वी.ए.के. पांडे **(2009) 10 एससीसी 552: [2009] 14 एससीआर 528**; हर्षद गोवर्धन सोंडागर बनाम इंटरनेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य **(2014) 6 एससीसी 1: [2014] 11 एससीआर 605**; रेमिंगटन रैंड का इंडिया लिमिटेड बनाम वर्कमेन **एआईआर 1968 एससी 224: [1968] एससीआर 164**; टी.वी. उस्मान बनाम खाद्य निरीक्षक, टेलिचेरी नगर पालिका, टेलिचेरी **(1994) 1 एससीसी 754;** नसीरुद्दीन एवं अन्य बनाम सीता राम अग्रवाल, **(2003) 2 एससीसी 577: [2003] 1 एससीआर 634**; पी.टी. राजन बनाम टी.पी.एम. साहिर और अन्य **(2003) 8 एससीसी 498 : [2003] 4 पूरक एससीआर 84;** यूपी राज्य वी मनबोधन लाल श्रीवास्तव **एआईआर 1957 एससी 912: [1958] एससीआर 533;** यूपी राज्य एवं अन्य. वि. बाबू राम उपध्याय **एआईआर 1961 एससी 751: [1961] एससीआर 679**; भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एवं अन्य **(1987) 1 एससीसी 424** : **[1987] 2 एससीआर 1;** यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य **(2010) 8 एससीसी 110: [2010] 9 एससीआर 1 - संदर्भित किया गया।**

मामला कानून संदर्भ

[2006] 9 पूरक। एससीआर 785	करने के लिए भेजा ।	अनुच्छेद 3
2009] 14 एससीआर 528	करने के लिए भेजा ।	अनुच्छेद 6
[2014] 11 एससीआर 605	करने के लिए भेजा ।	अनुच्छेद 6
[2014] 2 एससीआर 71	अनुपयुक्त ठहराया गया ।	अनुच्छेद 6
[1958] एससीआर 533	करने के लिए भेजा ।	अनुच्छेद 7
[1961] एससीआर 679	करने के लिए भेजा ।	अनुच्छेद 7
[1987] 2 एससीआर 1	करने के लिए भेजा।	अनुच्छेद 7
एआईआर 1917 पीसी 142	पालन किया।	अनुच्छेद 8
[1952] एससीआर 612	पालन किया।	अनुच्छेद 9
[1955] एससीआर 1104	पालन किया ।	अनुच्छेद 9
[1968] एससीआर 164	करने के लिए भेजा।	अनुच्छेद 10
(1994) 1 एससीसी 754	करने के लिए भेजा।	अनुच्छेद 11
[2003] 1 एससीआर 634	करने के लिए भेजा।	अनुच्छेद 12
[2003] 4 पूरक एससीआर 84	करने के लिए भेजा।	अनुच्छेद 13
(2020) 5 एससीआर 757	प्रतिष्ठित किया।	अनुच्छेद 14
[2004] 3 एससीआर 982	पर भरोसा किया।	अनुच्छेद 20

[2018] 11 एससीआर 1019 **पर भरोसा किया ।**
अनुच्छेद 20

[2010] 9 एससीआर 1 **करने के लिए भेजा।**
अनुच्छेद 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 3441/2020।

रिट याचिका (मदुरै) संख्या 11986/2019 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के 19.07.2019 के निर्णय और आदेश से। ।

अजमल खान, सीनियर अधिवक्ता, महबूब आतिफ, आर. विष्णु कुमार, सुश्री सुरभी मेहता, आशीष वाड, सिद्धार्थ महाजन, सुश्री तमाली वाड, अजय शर्मा, सुश्री सुकृति जग्गी, जे एस वाड एंड कंपनी, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हेमन्त गुप्ता, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील में चुनौती 19.07.2019 के केरल उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित एक आदेश के लिए है, जिसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002[1] के प्रवर्तन की धारा 14 जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिनों के भीतर एक सुरक्षित संपत्ति का कब्जा देने के लिए अनिवार्य करती है, जो लिखित रूप में दर्ज कारणों पर कुल 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, एक निर्देशिका प्रावधान है। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> “18. इन रिट याचिकाओं में प्राथमिक प्रश्न, अर्थात्, क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में समय सीमा अनिवार्य है या निर्देशिका का उत्तर ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों के आलोक में दिया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उक्त समय सीमा का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे आवेदनों पर तेजी से निर्णय लिया जाए ताकि सुरक्षित लेनदारों को जल्दी से भौतिक कब्जा लेने और अपने बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा गया है, समय सीमा का पालन न करने के परिणाम निर्दिष्ट नहीं हैं और इसकी अनुक्रमणिका यह होगी कि संबंधित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को समय सीमा समाप्त होने पर अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में, यह भी ध्यान रखना उचित है कि यदि "गैर-अनुपालन के परिणाम" परीक्षण लागू किया जाता है, तो उधारकर्ता, गारंटर या पट्टेदार, जैसा भी मामला हो, किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित या पूर्वाग्रहित नहीं होता है, चाहे ऐसे आवेदन 60,70 या 80 दिनों में तय किए गए हों।

दूसरी ओर, सुरक्षित लेनदार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है यदि प्रावधान को अनिवार्य के रूप में समझा जाता है और निर्देशिका में नहीं है, क्योंकि यह इस तरह के उद्देश्य के लिए किसी अन्य आवेदन को दाखिल करके ऐसी प्रक्रिया में तेजी लाने के बजाय परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया में देरी करेगा। इन सभी कारणों से, सरफेसी अधिनियम की संशोधित धारा 14 में समय सीमा की शर्त निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।

2. उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 14 की संशोधित रूप में जांच की, जो इस प्रकार हैः

"14. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के लिए। - (1)

xx xx xx

परन्तु इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत अधिकारी से शपथ पत्र की प्राप्ति पर, आवेदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के उद्देश्य से शपथ पत्र की सामग्री को संतुष्ट करने के बाद उपयुक्त आदेश पारित करेगाः बशर्ते कि यह भी कि यदि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो वह, इसके लिए लिखित कारण दर्ज करने के बाद, ऐसी अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकता है जो कुल साठ दिनों से अधिक न हो।

3. यह अधिनियम वर्ष 2002 में इन कारणों से अधिनियमित किया गया था कि वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित कानूनी ढांचे ने बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं के साथ तालमेल नहीं रखा था। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के परिणामस्वरूप चूक करने वाले ऋणों की वसूली की गति धीमी हो गई और बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर बढ़ गया। अधिनियम के पीछे के उद्देश्यों ने माना कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विपरीत, प्रतिभूतियों को कब्जे में लेने और उन्हें बेचने की शक्ति नहीं थी। इस न्यायालय ने धारा 17 की उपधारा (2) को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि ऋण वसूली अधिकरण किसी उधारकर्ता द्वारा की गई अपील को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि दावा की गई राशि का पचहत्तर प्रतिशत उसके समक्ष जमा नहीं किया गया हो[2]। इसके बाद, इस न्यायालय[4] द्वारा इस प्रश्न की जांच की गई कि क्या बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993[3] के कारण ऋणों की वसूली के तहत दायर आवेदन को वापस लेना अधिनियम का सहारा लेने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। इस न्यायालय ने कहा कि जब सिविल न्यायालय बैंकों द्वारा दायर मुकदमों का तेजी से फैसला करने में विफल रहीं, तो ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम लागू किया गया, हालांकि इसमें प्रतिभूतिकरण कंपनियों को ऋण सौंपने का प्रावधान नहीं था। इसके बाद 2002 में अधिनियमित किए गए अधिनियम ने बैंकों को और सशक्त बनाने और ऋण की वसूली को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया। यह इस आधार पर आगे बढ़ा कि एक बार उधारकर्ता का ऋण चुकाने का दायित्व स्पष्ट हो जाता है; यह देय हो जाता है और देरी के कारण, ऐसे उधारकर्ता का खाता घटिया और गैर-निष्पादित हो जाता है।

4. हाल ही में, इस न्यायालय ने 2014 में अधिनियम में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों पर ध्यान दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट संपत्ति का कब्जा लेता है और धारा 14(1) के तहत ऐसी संपत्ति को सुरक्षित लेनदार को "अग्रेषित" करता है, एक उधारकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन वास्तव में अधिनियम की धारा 15 के

तहत लिया जा सकता है और धारा 13(4) को धारा 14 और 15 के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। ये अधिनियम[5] के तहत एक सुरक्षित लेनदार द्वारा शक्तियों के प्रयोग के अलग और विशिष्ट तरीके हैं।

5. अधिनियम की धारा 14, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी संपत्तियों और सुरक्षित संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देती है। बाद में, केंद्रीय अधिनियम सं 2013 का 1, जो 15.1.2013 को प्रवृत्त हुआ, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के लिए एक परन्तुक अंतःस्थापित किया गया था जिसमें यह विचार किया गया था कि प्रतिभूत लेनदार के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसमें उल्लिखित प्रारूप में शपथपत्र दाखिल करने पर जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा। इसके बाद, अधिनियम को 2016 के केंद्रीय अधिनियम 44 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 1.9.2016 को लागू हुआ था।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री खान का तर्क यह है कि कुल 60 दिनों की विस्तारित अवधि का लाभ उठाने के लिए, यदि 30 दिनों के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट को कारण दर्ज करने का आदेश देने वाला प्रावधान दर्शाता है कि प्रावधान अनिवार्य है। यदि जिला मजिस्ट्रेट 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो सुरक्षित लेनदार को इसका उपाय कहीं और खोजना होगा, न कि अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में। यह तर्क दिया गया है कि प्रावधान जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिनों के भीतर एक आदेश पारित करने का आदेश देता है क्योंकि प्रावधान के पहले भाग में "करेगा" शब्द का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, प्रदान की गई समय सीमा स्पष्ट है और इसके परिणामस्वरूप प्रावधान अनिवार्य है। **भारत संघ और अन्य बनाम ए. के पांडे[6], हर्षद गोवर्धन सोंदागर बनाम इंटरनेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य[7], दीपक बाबरिया और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य[8]** में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है, अपने तर्कों के समर्थन में कि कारण दर्ज करने के बाद 60 दिनों की समय सीमा तय करने में अभिव्यक्ति "करेगा" और दूसरे परंतुक की भाषा का उपयोग प्रावधान को अनिवार्य बनाता है। यदि जिला मजिस्ट्रेट कब्ज़ा लेने में सक्षम नहीं है, तो उसके समक्ष कार्यवाही समाप्त हो जाती है।

7. विधियों की व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम यह है किकिसी कानून में "होगा" शब्द के उपयोग का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मामले में यह अनिवार्य है कि जब तक कानून के शब्दों का शाब्दिक रूप से पालन नहीं किया जाता है, तब तक कार्यवाही या कार्यवाही का परिणाम अमान्य होगा। यह कहना हमेशा सही नहीं है कि यदि "हो सकता है" शब्द का उपयोग किया गया है, तो क़ानून केवल इस अर्थ में अनुमेय या निर्देशिका है कि उन प्रावधानों का पालन न करने से कार्यवाही अमान्य नहीं होगी[9] और जब कोई क़ानून "होगा" शब्द का उपयोग करता है, तो प्रथम दृष्टया, यह अनिवार्य है, लेकिन न्यायालय क़ानून के पूरे दायरे को ध्यान से ध्यान में रखते हुए विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगा सकता है[10]। क़ानून के संदर्भ और योजना की जांच किए बिना सभी परिस्थितियों में अकेले क़ानून के शाब्दिक निर्माण का सिद्धांत क़ानून के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है[11]।

8. यह प्रश्न कि क्या एक लोक अधिकारी के लिए सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए निर्धारित समय सीमा निर्देशिका है या अनिवार्य है, न्यायालयों द्वारा पहले भी जांचा जा चुका है। जूरी पैनल के गठन के

लिए प्रारंभिक कार्यवाही में अनियमितताओं के संबंध में प्रिवी काउंसिल के समक्ष एक सवाल उठा। नगर पालिका से योग्य व्यक्तियों की सूची को संशोधित करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन जूरी को पुरानी सूची से लिया गया था क्योंकि शेरिफ ने इसे संशोधित करने की उपेक्षा की थी। इन परिस्थितियों में, पुरानी सूची से तैयार जूरी का निर्णय प्रिवी काउंसिल द्वारा विचार का विषय बन गया। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि कानून के प्रावधानों का पालन करने की उपेक्षा करने से सूची से लिए गए सभी निर्णायक मंडल के निर्णय वस्तुतः अमान्य हो जाते हैं तो यह अधिक सार्वजनिक असुविधा का कारण बनेगा ताकि विधिवत संशोधित सूची तैयार होने तक कोई निर्णायक मंडल परीक्षण आयोजित नहीं किया जा सके।

9. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जब किसी कानून के उपबंध किसी लोक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित हैं और मामला ऐसा है कि इस कर्तव्य की उपेक्षा में किए गए कृत्यों को शून्य और शून्य के रूप में अभिनिर्धारित करना, उन व्यक्तियों के लिए गंभीर सामान्य असुविधा या अन्याय का कारण बनेगा, जिनका कर्तव्य सौंपे गए व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो न्यायालयों की प्रथा निर्देशिका[13] जैसे उपबंधों को अभिनिर्धारित करने की होनी चाहिए। सात पीठ के फैसले में, यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या मतपत्रों को अस्वीकार करने की निर्वाचन अधिकारी की शक्ति अनिवार्य है या निर्देशिका। न्यायालय ने निर्माण के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियमों की जांच करते हुए कहा कि एक क़ानून को निर्देशिका के रूप में समझा जाना चाहिए यदि यह सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन से संबंधित है, या यदि उसमें निर्धारित शर्तों का पालन उन व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना है जिन्हें अधिकार प्रदान किया गया है[14]।

10. ***रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड*** बनाम ***कामगार***[15] के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 विचार के लिए सामने आई। यह तर्क दिया गया कि श्रम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय के प्रकाशन की 30 दिनों की समय सीमा अनिवार्य है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि धारा 17 अनिवार्य है, 30 दिनों के भीतर अधिनिर्णय प्रकाशित करने की समय सीमा अन्य बातों के साथ-साथ निर्देशिका है क्योंकि 30 दिनों की अवधि के भीतर अधिनिर्णय का प्रकाशन न करने पर कोई जुर्माना नहीं लगता है।

11. ***टी.वी. उस्मान बनाम खाद्य निरीक्षक, तेलीचेरी नगरपालिका, तेलीचेरी***[16] में, वह समय अवधि जिसके दौरान खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955 के नियम 7(3) के तहत एक नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट दी जानी थी, को निर्देशिका माना गया था क्योंकि कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी जिसके भीतर अभियोजन शुरू किया जाना था। जब ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी तो 45 दिनों की अवधि को अनिवार्य रूप से रखने का कोई वैध कारण नहीं था। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि सार्वजनिक विश्लेषक नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा को नजरअंदाज कर सकते हैं। उसे सभी मामलों में समय-सीमा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि किसी मामले में कुछ देरी होती है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि रिपोर्ट ही अमान्य है और उस आधार पर यह ठहराने का कोई कारण नहीं है कि अभियोजन भी शुरू नहीं किया जा सकता है।

12. इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या कोई उपबंध अनिवार्य था या निर्देशिका, किसी निर्दिष्ट समय सीमा में कार्य करने में किसी व्यक्ति की विफलता और किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रदान की गई समय सीमा के बीच अंतर किया, जब इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि यदि किसी कार्य को किसी निर्दिष्ट समय के भीतर किसी निजी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है, तो वह सामान्य रूप से अनिवार्य होगा, लेकिन जब किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को एक समय-सीमा के भीतर एक सार्वजनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो उसे निर्देशिका माना जाएगा जब तक कि उसके परिणाम निर्दिष्ट न किए जाएं[17]।

13. ***पी.टी. राजन बनाम टी.पी.एम. साहिर और अन्य[18]*** में, इस न्यायालय ने नामांकन पत्रों की स्वीकृति के समय से पहले अंतिम मतदाता सूची के गैर-प्रकाशन के प्रभाव की जांच की। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया :

> "48. इसके अलावा, भले ही कानून मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए एक समय निर्दिष्ट करता है, उसे अपने आप में अनिवार्य नहीं माना जा सकता था। इस तरह का प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका होगा। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जहां एक वैधानिक पदाधिकारी को उसके लिए निर्धारित समय के भीतर एक वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाता है, वह निर्देशिका होगी और अनिवार्य नहीं होगी। (शिवेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम मोंघिर के जिला मजिस्ट्रेट देखें [एआईआर 1966 पैट 144: आईएलआर 45 पैट 436 (एफबी)],नोमिता चौधरी बनाम डब्ल्यू.बी. [(1999) 2 कैल एलजे 21] और गरबरी यूनियन कॉप। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बनाम स्वपन कुमार जाना [(1997) 1 सीएचएन 189]।) "

14. हाल ही में एक संविधान पीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में विरोधी पक्ष द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिनों का समय देना या ऐसी विस्तारित अवधि जो 15 दिनों से अधिक न हो, अनिवार्य है क्योंकि कानून का उद्देश्य उपभोक्ता के लाभ और सुरक्षा के लिए है। इसने पाया कि इस तरह का अधिनियम उपभोक्ता विवादों के त्वरित निपटान के लिए लागू किया गया था। इस मामले में, एक व्यक्ति को अपना लिखित बयान दायर करने के लिए कहा गया था, इसके विपरीत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के सामने इस मुद्दे का फैसला करने के लिए[19]।

15. शिवेश्वर प्रसाद सिन्हा मामले में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ बिहार भवन (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की जांच कर रही थी, जिसमें किरायेदार के रूप में एक इमारत पर कब्जा करने वाले एक सरकारी कर्मचारी को मकान मालिक और जिला मजिस्ट्रेट को परिसर खाली करने के अपने इरादे का 15 दिनों का नोटिस देने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस सरकारी कर्मचारी को घर आवंटित किया गया था, उसका जिला मजिस्ट्रेट पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए प्रावधान द्वारा आवश्यक समय सीमा अनिवार्य नहीं थी।

16. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल[20] पीठ ने संशोधित अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों की जांच की। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 14 की उपधारा (1) का दूसरा परन्तुक यह सुनिश्चित करने के लिए अंतःस्थापित किया गया था कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित समय के भीतर आदेश पारित करें। जिला मजिस्ट्रेट पर बैंक/सुरक्षित लेनदार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन दायर करने के बाद, बैंक के पास मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उचित समय के भीतर आदेश पारित करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं था। विधायिका ने उक्त अधिकारियों को बांधने के लिए उक्त परंतुक को सम्मिलित किया। इस प्रकार, मूल उद्देश्य और उद्देश्य संबंधित मजिस्ट्रेट के लिए एक आदेश पारित करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना था और एक बेईमान उधारकर्ता/गारंटर को क्लीन चिट नहीं देना था, जिसने ऋणों का भुगतान नहीं किया था।

17. अब, श्री खान द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों पर आते हैं। ए.के. पांडे में, कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा शुरू करने से पहले प्रत्यर्थी को 96 घंटे का अंतराल समय प्रदान नहीं किया गया था जैसा कि संबंधित नियमों द्वारा विचार किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी कार्यवाहियों को दूषित किया गया था क्योंकि समय सीमा का उद्देश्य यह था कि अभियुक्त को विचारण के लिए बुलाए जाने से पहले, उसे उस आरोप या आरोपों पर शांत विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना है, अपने बचाव के बारे में निर्णय लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अधिकारियों को अपने गवाहों की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। वह आरोप का बचाव नहीं करने का भी फैसला कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी कार्रवाई तय करे, उसे स्पष्ट छियानबे घंटे दिए जाने चाहिए।

18. ***हर्षद गोवर्धन सोंडागर*** एक ऐसा मामला था जिसमें कब्जे वाले व्यक्ति ने बंधक बनाने से पहले किरायेदार होने के नाते परिसर में किरायेदारी के अधिकारों के साथ-साथ एक संरक्षित किरायेदारी का दावा किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति का उपचार केवल उच्च न्यायालय के समक्ष निहित है। तथापि, 3.4.2014 को पूर्वोक्त निर्णय दिए जाने के पश्चात् अधिनियम में संशोधन किया गया था और 1.9.2016 से धारा 17 में उपधारा 4क अंतःस्थापित की गई थी। यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण में एक आवेदन स्थानांतरित करने का अधिकार प्रदान करता है जिसने किरायेदारी या पट्टे के अधिकारों का दावा किया था।

19. **दीपक बाबरिया** एक ऐसा मामला था जिसमें एक कृषक द्वारा कृषि भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता था। इसके लिए कलेक्टर द्वारा अनुमति दी जानी थी। इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब कोई कानून किसी विशेष तरीके से किसी काम को करने का प्रावधान करता है तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव वर्तमान मामले में विचार के लिए नहीं आता है।

20. इस अधिनियम को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ताकि उनके पास सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने की शक्ति हो सके। ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम को पहले सार्वजनिक बकाया की वसूली को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही ने वांछनीय परिणाम नहीं दिए हैं। इसलिए, विचाराधीन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ***मार्डिया केमिकल, ट्रांसकोर*** और ***हिंडन फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड*** के मामले में इस अदालत ने निर्णय दिया है कि अधिनियम का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय

संस्थानों द्वारा बकाया की त्वरित वसूली से संबंधित है। विधायिका का वास्तविक इरादा इसमें एक निर्धारक कारक है। अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने की समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए प्राधिकरण पर दबाव डाला जा सके। हालांकि, समय सीमा के भीतर कब्जा करने में असमर्थता जिला मजिस्ट्रेट फंकटस ऑफिसियो को नहीं बनाती है। सुरक्षित लेनदार का जिला मजिस्ट्रेट पर कोई नियंत्रण नहीं है जो सार्वजनिक बकाया की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक भलाई के लिए अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। अतः अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किए बिना अधिनियम की धारा 14 की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। यदि धारा 14 की भाषा पर कोई अन्य व्याख्या की जाती है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगा। समय सीमा लेनदारों में यह विश्वास पैदा करने के लिए है कि जिला मजिस्ट्रेट कब्जा देने का प्रयास करेगा और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य अधिरोपित करेगा कि वह 30 दिनों के भीतर कब्जा देने और 60 दिनों के भीतर दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए क़ानून के जनादेश का पालन करने के लिए गंभीर प्रयास करे। इस संदर्भ में, अधिनियम की धारा 14 के तहत उपचार निरर्थक नहीं है यदि जिला मजिस्ट्रेट कब्जा सौंपने में असमर्थ है। जिला मजिस्ट्रेट को अभी भी जल्द से जल्द कब्ज़े की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा जाएगा।

21. यद्यपि, ***यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया*** बनाम ***सत्यवती टंडन और अन्य***[21] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सुरक्षित लेनदारों के बकाये की वसूली से संबंधित मामलों में, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन का ऐसे निकायों/संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो अंततः राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में रोक लगाने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और चौकसी बरतनी चाहिए। हिंडन फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार द्वारा एक पीड़ित व्यक्ति का उपचार ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन के माध्यम से है, हालांकि, उधारकर्ता और अन्य पीड़ित व्यक्ति वैकल्पिक वैधानिक उपचार का लाभ उठाए बिना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर रहे हैं। जब प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों तो माननीय उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की सीमाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों के लिए अभी भी सावधानी का एक शब्द आवश्यक होगा कि अंतरिम आदेश आम तौर पर सुरक्षित लेनदार को सुने बिना पारित नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि अंतरिम आदेश सार्वजनिक धन की शीघ्र वसूली के उद्देश्य को विफल कर देते हैं।

22. इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। नतीजतन, याचिका खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल अपील खारिज.

1. संक्षेप में "अधिनियम"

2. मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2004) 4 एससीसी 311
3. संक्षेप में " ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम"
4. ट्रांसकोर बनाम भारत संघ और अन्य, (2008) 1 एससीसी 125
5. हिंडन फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद और अन्य के माध्यम से। (2019) 2 एससीसी 198
6. (2009) 10 एससीसी 552
7. (2014) 6 एससीसी 1
8. (2014) 3 एससीसी 502
9. यूपी राज्य वी. मनबोधन लाल श्रीवास्तव, एआईआर 1957 एससी 912
10. यूपी राज्य एवं अन्य. बनाम बाबू राम उपाध्याय, एआईआर 1961 एससी 751
11. भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य, (1987) 1 एससीसी 424
12. मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉर्मंडिन, एआईआर 1917 पीसी 142
13. दत्तात्रेय मोरेश्वर पंगारकर बनाम बॉम्बे राज्य एवं अन्य, एआईआर 1952 एससी 181
14. हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक और अन्य। एआईआर 1955 एससी 233
15. एआईआर 1968 एससी 224
16. (1994) 1 एससीसी 754
17. नसीरुद्दीन एवं अन्य बनाम सीता राम अग्रवाल, (2003) 2 एससीसी 577
18. (2003) 8 एससीसी 498
19. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, (2020) 5 एससीसी 757
20. मनीष मखीजा बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य, 2018 एससीसी ऑनलाइन एमपी 553 में
21. (2010) 8 एससीसी 110

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।